

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एम-1485/26004/2024/203

दिनांक:- 11/6/2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर।

विषय:- श्रीमती मेरी रोज, व.न.अ. सेवानिवृत्त के अवकाश प्रकरण विलम्ब से भिजवाये जाने हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्रादि भिजवाने बाबत।
संदर्भ:- निदेशालय के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 15.02.2024, स्मरण पत्रांक 105 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भित पत्र द्वारा श्रीमती मेरी रोज, व.न.अ. सेवानिवृत्त के अवकाश प्रकरण विलम्ब से भिजवाये जाने हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्रादि भिजवाने हेतु लिखा गया था, जो आज दिवस तक भी अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः स्मरण कराते हुए अवगत कराना चाहूँगा चाही गई वांछित सूचना आज दिवस तक नहीं भिजवाने के क्या कारण रहे हैं कारणों को स्पष्ट कराते हुए अविलम्ब उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्रादि भिजवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में प्रकरण के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11/6/2024

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एम-1485/26004/2024/203
प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन जयपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ, जिला अलवर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर सीएमएचओ, अलवर को अवगत कराते हुए चाही गई वांछित सूचना उनके माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित/गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7797467

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :10-06-2024 06:45:50